कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, चिरकुण्डा नगर पंचायत

(इच्छा की अभिव्यक्ति)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चिरकुण्डा नगर पंचायत द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालय–सह–कौशल विकास केन्द्र एवं 05 अदद सामुदायिक शौचालय का रख–रखाव एवं संचालन हेतु कुछ शर्तों के अधीन इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

प्रस्ताव आमंत्रित की तिथि :– 16.02.2018 को अप0 03:00 बजे तक
प्रस्ताव खोलने की तिथि :– 16.02.2018 को अप0 03:30 बजे

इच्छुक व्यक्ति/संवेदक/संगठन उक्त प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं। उक्त प्रस्ताव हेतु न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 1,00,000.00 रू0 है। इस संबंध में शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय अवधि में चिरकुण्डा नगर पंचायत के सूचनापट्ट एवं विभागीय Website :- www.udhd.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है।

9/2/18
कार्यपालक पदाधिकारी,
चिरकुण्डा नगर पंचायत।

ज्ञापांक 235 / दिनांक 09/02/18
प्रतिलिपिः–प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण को धनबाद संस्करण में सरकारी न्यूनतम दर पर मात्र एक दिवसीय प्रकाशन हेतु प्रेषित।

9/2/18
कार्यपालक पदाधिकारी
चिरकुण्डा नगर पंचायत

Praveen Choudhary

Scanned by CamScanner

कार्यालय : कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर पंचायत, चिरकुण्डा

कौशल विकास केन्द्र–सह–सामुदायिक शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव एवं संचालन की शर्तें :–

1. कोई भी व्यक्ति/संवेदक/NGO's/संगठन द्वारा उक्त प्रस्ताव समर्पित किया जा सकता है।
2. कौशल विकास केन्द्र–सह–सामुदायिक शौचालय के आमदनी से ही 05 अद्द सामुदायिक शौचालय का रख–रखाव किया जाएगा।
3. 05 अद्द सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव के लिए अलग से कोई शुल्क वसूली नहीं की जाएगी।
4. सभी संरचना का पानी तथा बिजली का विपत्र एजेंसी के द्वारा वहन किया जाएगा।
5. समुचित रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित व्यक्ति/एजेंसी की होगी।
6. उक्त संरचना में किसी प्रकार का नया निर्माण बिना नगर पंचातय के अनुममि का नहीं किया जाएगा।
7. उक्त कार्य हेतु न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 1,00,000.00 है।
8. चिरकुण्डा नगर पंचायत का कोई कार्यक्रम निःशुल्क दिया जाएगा।
9. जिस व्यक्ति/संवेदक/NGO's/संगठन के द्वारा न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि या सुरक्षित जमा राशि से अधिक भूगतान करने वाले को कार्य आवंटित किया जाएगा।
10. समय–समय पर विभाग/सरकार द्वारा दिये गए निर्देश का अनुपालन करना होगा।
11. उक्त प्रस्ताव प्रारंभ में तीन वर्षों के लिये आमंत्रित की जा रही है उसके पश्चात व्यक्ति/एजेंसी के कार्य का आकलन के बाद अवधि बढ़ायी जा सकती है।
12. उक्त प्रस्ताव के कार्य में व्यक्ति/एजेंसी का कार्य संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में तीन वर्ष के पूर्व भी हटाया जा सकता है।
13. संबंधित एजेन्सी को निकाय के साथ एकरारनामा भी करना होगा।
14. बिना कारण बताए इच्छा की अभिव्यक्ति को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. उक्त प्रस्ताव से संबंधित किसी प्रकार की विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

9/2/18

कार्यपालक पदाधिकारी
चिरकुण्डा नगर पंचायत।

Scanned by CamScanner